



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

/2018

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/1547

क्षमित्रोद्धाराकर्त्तव्य  
हजार हजार रुपये क्रमांक ५३।४  
को प्राप्ति  
मा. ४/३।।४

*[Signature]*  
५३।४।१४

बिनोद आगल  
२०१८  
०५-०३-२०१८

*[Signature]*

शम्भू सिंह पुत्र श्री सुबरन सिंह,  
निवासी- ग्राम डाढ़ (नगर पंचायत  
सेमरिया वार्ड क्रमांक-०१) तहसील  
~~सिंहपुरा~~ जिला रीवा (म.प्र.)

--आवेदक

### विरुद्ध

1. निर्मल सिंह पत्नी महेश सिंह,
2. उदय बहादुर सिंह पुत्र स्व. श्री महेश  
सिंह,
3. संतोष सिंह पुत्र स्व. श्री महेश सिंह,
4. विजय सिंह पुत्र स्व. श्री महेश सिंह,
5. अशोक सिंह पुत्र स्व. श्री महेश सिंह,
6. पुष्पा पुत्री स्व. श्री महेश सिंह, पत्नी  
जगदम्बा सिंह, निवासी- ग्राम देउहट  
(उ.प्र.)
7. अनीता सिंह पुत्री स्व. महेश सिंह,  
पत्नी कृष्ण प्रताप सिंह, निवासी-  
ग्राम अमिलिया तहसील ~~सिंहपुरा~~ रियासीर १४  
जिला रीवा (म.प्र.)
8. सुनीता सिंह पुत्री स्व. श्री महेश  
सिंह, पत्नी राधवेन्द्र सिंह, निवासी-  
ग्राम अमिलिया तहसील ~~सिंहपुरा~~ रियासीर १४  
जिला रीवा (म.प्र.)
9. गुड्डु सिंह पुत्री स्व. श्री महेशसिंह,  
पत्नी सधीम सिंह, निवासी- ग्राम  
विजयपुर जिला मिर्जापुर (उ.प्र.)
10. सरोज सिंह पुत्री स्व. श्री महेश सिंह  
पत्नी बिनोद सिंह, निवासी- ग्राम  
अमिलिया तहसील ~~सिंहपुरा~~ रियासीर १४  
जिला रीवा (म.प्र.)

--अनावेकण

न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा जिला रीवा (म.प्र.)

द्वारा प्रकरण क्रमांक ०५/निगरानी/आ-१९/२०१६-१७

में पारित आदेश पारित दिनांक २५/०१/२०१८ के

विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, १९५९ की धारा

५० के अधीन पुनरीक्षण।

(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालिपर

अनुयाति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/गो/२९८/२२१/१८/१५४७.

२१२२/गो

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
---------------------	--------------------	--

8/11/19

आवेदक की ओर से श्री विजय लालवति अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला उज्ज॒ावा (क्षेत्र ५) के प्रकरण क्रमांक ०५/गो/३१-१९/१६-१८ में पारित आदेश दिनांक २५-१-१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग २९वीं के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक १८/०४/१९ को संभागीय आयुक्त २९वीं के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य